न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः—हनुमानसिंह राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्याः— 67/2020

प्रार्थीः—

1. रामकिशोर पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी दातीवाडा तहसील व जिला जोधपुर
2. बालकिशन पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी दातीवाडा तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीः—

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू—राजस्व अधिनियम

आदेश　　　　　　दिनांकः— 30 दिसम्बर 2020

उपस्थितिः— श्री रोशनलाल अधिवक्ता प्रार्थी।
सरकारी पैरोकार अनु.

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की पट्टा सुदा मालिकाना हक की जायदाद ग्राम दातीवाडा तहसील व जिला जोधपुर की आबादी भूमि में आई हुई है जिसमें प्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है । प्राथीगण के पिता के पक्ष में पट्टा सख्या 46 वर्ष 197—80 ग्राम पचांयत खातीयासनी द्वारा दिनांक 25.9.1980 को जारी किया गया है तब से उनके पिताजी का तथा उनके पश्चात उनके पुत्रों यानी प्रार्थीगण का उपरोक्त जायदाद पर कब्जा चला आ रहा है यह जायदाद भूखण्ड ग्राम दातीवाडा के खसरा नम्बर 429/1 गैर मुमकीन आबादी में आया हुआ है ।

वर्तमान मे आबादी भूमि की तरमीम की गई थी जिसके दौरान खसरा स. 429 में से 28 बीघा की तरमीम की गई थी तथा उसके खसरा न. 429/1 दर्ज किया गया। तरमीम के दौरान प्रार्थीगण की भूमि को तरमीम से बाहर रख दिया गया जिससे प्रार्थीगण की जायदाद खसरा स. 429/3 में दर्शा दी गई।

इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर जांच की गई जिसमें यह पाया गया कि प्रार्थीगण की पट्टासुद आबादी की जायदाद को खसरा स. 429/1 की जगह 429/3 में भूलवश दर्शा दिया गया है जो शुद्ध किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)

प्रार्थीगण का भूखण्ड आबादी भूमि में आया हुआ है जिसका पट्टा दिनांक 25.09.1980 को जारी किया गया है तब से प्रार्थीगण व उसके पूर्वज मौके पर काबिज चले आ रहे है तथा वर्तमान में तरमीम सहवन गलत किये जाने के कारण विवाद उत्पन होने की पूर्ण संभावना है इसलिए तरमीम को शुद्व किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के भूखण्ड/जायदाद की भूमि को खसरा स. 429/1 की भूमि के अन्दर मानते हुए तरमीम शुद्व किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । तहसीलदार जोधपुर अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें ग्राम दातीवाडा का खसरा नम्बर 429/1 रकबा 28.00 बीघा गै.मू.राजस्व रेकर्ड में दर्ज है । इस खसरे में प्रार्थी रामकिशोर वगैरा का पट्टा शुदा मकान बना हुआ है। नक्शा लट्टा में सेवन से खसरा नम्बर 429/3 दर्शा दिया गया है जो कि खातेदारी भूमि है। शेष प्रार्थीगण स्वयं सिद्व करे।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में ग्राम दातीवाडा का खसरा नम्बर 429/1 मे भुखण्ड/जायदाद के नक्शे में तरमीन शुद्व करने की प्रार्थना पत्र की है।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र , जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी द्वारा की गई बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे मै इस निष्कर्ष पर पहुचा हूॅ की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के भुखण्ड/जायदाद की भूमि ग्राम दातीवाडा के खसरा नम्बर 429/1 की भूमि के अन्दर मानते हुए तरमीम शुद्व करने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा को निर्णय का अभिन्न अंग समझा जावे । आदेश की पालना करने हेतु तहसीलदार जोधपुर को तहरीर जारी है।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 30.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर